तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/2582/2006/उदयपुर वाला वगैरहा बनाम लालूराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थित–
श्री सम्पत लाल बोहरा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय
दिनांकः– 09–07–2018

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के तहत उपजिला कलक्टर वल्लभनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–03–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 151 व 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानान्तर्गत वादीगण के आलोच्य दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होना कथित कर प्रतिवादी की प्रार्थना को स्वीकार किया है।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश का विधिक दृष्टि से परीक्षण किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर वल्लभनगर के समक्ष विचारधीन प्रकरण संख्या 17/1998 बउनवान श्रीमती कडूवा बनाम लालूराम बाबत अधिनियम की धारा 88 में न्यायालय ने धारा 151 व धारा 11 के प्रावधानान्तर्गत वादीगण द्वारा प्रस्तुत आलोच्य दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होना कथित कर प्रतिवादी की प्रार्थना को आदेशिका दिनांक 25–3–2006 द्वारा स्वीकार किया है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/2582/2006/उदयपुर वाला वगैरहा बनाम लालूराम वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में विवेचित किया है कि ''हमारे समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय यह है कि क्या अनस्टाम्पड एवं अनरजि. दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है? हमने धारा 49 स्टाम्प अधिनियम का अवलोकन किया, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पड दस्तावेज को सीमित उद्देश्य हेतु ही काम में लिया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि वादी द्वारा विशेष अनुतोष अधिक के तहत दावा भी दायर किया हुआ है। तथाकथित दस्तावेज अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पड होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अतः वकील प्रतिवादी की प्रार्थना स्वीकार की जाती है''। हमारी विनम्र राय में दस्तावेज अपर्याप्त मुद्रांक एवं अपंजीकृत होने के आधार पर साक्ष्य में ग्राह्य है अथवा नहीं, इस आशय का आक्षेप वादीगण द्वारा उचित स्टेज पर अथवा प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय प्रदान करने से पूर्व बहस में किया जाना चाहिये था। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य किया जाना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भावना के विपरीत है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आलोच्य दस्तावेज का विधिक दृष्टिकोण से किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं होने के कारण प्रार्थीगण ऐसे दस्तावेजों के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ऐसे आलोच्य दस्तावेज पर प्रदर्श डाले जाने की स्थिति में भविष्य में पक्षकारान के मध्य वाद बाहुल्यता को बढावा मिलना सम्भाव्य है। प्रार्थीगण ने अपने तर्को के समर्थन में 2006 आरबीजे पेज 301, 2010 आरबीजे पेज 564, 2001 एआईआर पेज 378, 2009 (2) सीटी राज. पेज 903 व 2003 एआईआर एससी पेज 1905 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/2582/2006/उदयपुर वाला वगैरहा बनाम लालूराम वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य इस प्रकरण की परिस्थिति से भिन्न होने के कारण वे उनकी कोई सहायता नहीं करते। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में प्रकरण का विधिक दृष्टिकोण से आंकलन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25–3–2006 द्वारा प्रार्थीगण के आलोच्य दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं करते हुए प्रतिवादी की प्रार्थना को स्वीकार करने संबंधी जो आज्ञा पारित की है, वह विधि सम्मत है। अतः हमारी सुविचारित राय में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत होने के कारण उसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्त्क्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा उपजिला कलक्टर वल्लभनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–03–2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(द्वारका लाल मीणा) सदस्य**	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/2582/2006/उदयपुर** **वाला वगैरहा बनाम लालूराम वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए